

208

152

छत्तीसगढ़ शासन  
 आवास एवं पर्यावरण विभाग  
 दाऊ कल्याण सिंह भवन  
 मंत्रालय-रायपुर

// आदेश //

रायपुर, दिनांक / /


कमांक /6980/18/03 के अनुसार रेल्वे सीमा से 30 मीटर की दूरी पर शासकीय भूमि आबंटन / भवन निर्माण की अनुमति के संबंध में शासन द्वारा पूर्व में जारी आदेश दिनांक 20.2.01 एवं 22.2.2000 में संशोधन करते हुए, राज्य शासन ने यह निर्णय लिया है कि रेल्वे लाईन या रेल्वे स्टेशन की सीमा से 30 मीटर की दूरी तक किसी भी प्रकार के भूमि के पट्टे किसी भी व्यक्ति अथवा संस्था आदि को आबंटन करने अथवा किसी भी प्रकार की निर्माण की स्वीकृति की अनुमति से पूर्व उक्त क्षेत्र के सक्षम रेल्वे अधिकारी से अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा ।

SPR

20/11

20/11  
 23/11

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से  
 तथा आदेशानुसार

  
 (बी.के.सिन्हा)  
 विशेष सचिव


आवास एवं पर्यावरण विभाग


रायपुर, दिनांक 27/1/04

पृ.क. 82 /6980/18/03

प्रतिलिपि :-

1. कलेक्टर जिला.....छत्तीसगढ़ की ओर सूचनार्थ ।
2. संचालक एवं नगरीय नियोजन के कार्यालयों को आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

  
 21/11

  
 (बी.के.सिन्हा)  
 विशेष सचिव

आवास एवं पर्यावरण विभाग

SDM (rc)

20/11/04

22/11/04